न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 19/2022
ऑनलाईन नम्बर 2022/34

निर्णय दिनांकः 27.03.2025

पुनमदेवी पत्नि सुखराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. रामीदेवी पत्नि फुसाराम
2. अमरचन्द पुत्र बुधाराम

जाति मेघवाल निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. श्री राजाराम नैण अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी के नाम से रोही ख्यिाणीबास में खेत खसरा नम्बर 434/349 तादादी 3.2000 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसका रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के खेत खसरा नम्बर 346 तादादी 2.5300 हैक्टेयर में से होकर जाता है जो श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क से फटकर अप्रार्थी के खेत के पूर्वी भाग से होते हुए प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है। जिसकी दूरी लगभग 160 मीटर लम्बाई एवं 9.15 मीटर चौडाई है जो रास्ता अप्रार्थी के खेत में से शुरू से ही चला आ रहा है इसी रास्ते से प्रार्थी शुरू से ही आते जाते रहते है। उक्त रास्ता श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क के रास्ते से फटकर अप्रार्थी के खेत में से गुजरता है उक्त रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है प्रार्थी के खेत का यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है। उक्त खेत में प्रार्थी का विधमान रास्ता है जिसकी चौड़ाई 9.15 मीटर एवं लम्बाई 160 मीटर है प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 346 तादादी 2.5300 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास के श्रीड्गरगढ़ से बीदासर सड़क से फटकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के खेत में से होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 434/349 तादादी 3.2000 हैक्टेयर, रोही ख्यिाणीवास में प्रवेश करता है। उक्त रास्ते को दर्शाते हुए नजरी फर्द मौका का नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें X से Y श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क है व लाल स्याही से मार्क A से B अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत से गुजरता हुआ रास्ता है जिसकी लम्बाई 160 मीटर प्रार्थी के खेत में जाता है जो अन्त्यत आवश्यक एवं प्रार्थी के खेत तक पहुचने का एकमात्र रास्ता है उक्त रास्ता सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

का न होकर आवश्यकता का है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी द्वारा अपने खेत तक पहुचने का अन्य रास्ता नही है। प्राथी के खेतों में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है यही एकमात्र प्रार्थी के आने जाने का एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी शुरू से ही इसी रास्ते से होकर अपने अपने खेत में आती जाती है। प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 434/349 तादादी 3.2000 हैक्टेयर में से 160 गुणा 9.15 कुल क्षेत्रफल 1464 वर्गमीटर है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डी. एल. सी. दर की दोगुना कीमत अदा करने को तैयार है । प्रार्थी इसी रास्ते से आते जाते है इसलिए प्राथी द्वारा यही रास्ता मांगना आवश्यक एवं मजबूरी है। यही ही एकमात्र एवं अन्यन्त आवश्यकता का रास्ता होने के कारण प्रार्थी द्वारा कम चौड़ाई के रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी की एवं रास्ते की भूमि रोही ख्यािणीबास में अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार हासिल है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 434/349 तादादी 3.2000 हैक्टेयर रोही ख्यािणीबास तहसील श्रीडूगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 346 तादादी 2.5300 हैक्टेयर में से 160 मीटर लम्बा एवं 9.15 मीटर चौडा कुल 1464 वर्गमीटर सलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. कटाणी दर्ज किया जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 3 को फरमाने की कृपा फरमावें ।

प्रार्थीनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थीनी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थीनी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 346 तादादी 2.5000 हैक्टेयर रोही ख्यािणीबास में स्थित था। जिसका विभाजन के बाद अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से 559/346 तादादी 1.50 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 560/346 तादादी 1.00 हैक्टेयर कामय हुए है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खसरा नंबर 560/346 तादादी 1.00 हैक्टेयर कायम है जिसमें से प्रार्थीनी द्वार चाहा गया रास्ता कायम करवानें के लिए सहमत हूं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने मौजूदा रास्ते का विस्तार करके रास्ता बनानें के लिए आवेदन किया है जो सही है। जिनको मै अप्रार्थी स्वीकार करती हूं कि रोही ख्यािणीबास के खसरा नंबर 576/559 तादादी 1.4750 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 560/346 तादादी 1.00 हैक्टेयर में श्रीडूंगरगढ़ से बीकानेर सड़क से फटकर खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

434/349 तादादी 3.2000 हैक्टेयर में प्रवेश करता हुआ प्रार्थी के खेत तक जाता है जो रास्ता शुरू से ही कायम है जिसको रास्ता के रूप में दर्ज करवानें के लिए सहमत हूं जिसको हम काश्तकारों ने आपसी सहमति से बिना प्रतिफल के तय कर लिया है। जिसको राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज करवानें के लिए मै अप्रार्थी पूर्णत सहमत हूं एवं प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 576/559 तादादी 1.4750 हैक्टेयर, खसरा नंबर 560/346 तादादी 1.00 हैक्टेयर में से प्रार्थीनी द्वारा चाहे गये रास्ता के अनुसार रास्ता कायम करवानें के लिए मै सहमत हूं। खसरा नंबर 576/559 तादादी 1.4750 हैक्टेयर, खसरा नंबर 560/346 तादादी 1.00 हैक्टेयर में से तहसीलदार की रिर्पोट के अनुसार रास्ता कायम करनें का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि प्रार्थीनी के खेत का रास्ता उसके पुत्रवधु के खेत खसरा नम्बर 435/349 में से होकर आता है जिससे ही प्रार्थीनी अपने खेत में आवागमन करती है। प्रार्थीनी द्वारा यह रास्ता अपनी सुविधा के लिए श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क से जुडने के लिए मांगा जा रहा है। जो रास्ता धारा 251क के प्रावधानो में नही आता है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधा के अनुसार चाहा गया है प्रार्थी अपने खेत में अपने पति के खेतो में से होकर आवागमन करती है जो प्रार्थी के वैकल्पिक रास्ता है इसलिए प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है । अप्रार्थीगण के खेत में किसी भी प्रकार का रास्ता नही है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 435/349 में से है जो रास्ता प्रार्थीनी के आवागमन का रास्ता है वर्तमान में आवागमन का रास्ता होने के कारण प्रार्थीनी नया रास्ता की मांग नही कर सकती इसलिए प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थीनी शुरू से ही खसरा नम्बर 435/349 में से आवागमन करती आ रही है जो रास्ता बाना से कट्टाणी मार्ग से फटकर प्रार्थीनी के खेत तक आता है जो प्रार्थीनी के आवागमन का शूरू से ही रास्ता है जिससे प्रार्थीनी का आवागमन आज भी है इसलिए प्रार्थीनी द्वारा सुविधा के अनुसार चाहा गया रास्ता नही दिया जा सकता प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में से होकर नही है। जो प्रार्थीगण ने रास्ता का वर्णन किया है वो आवश्यकता का न होकर सुविधा का मांगा है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अन्यन्त आवश्यकता का न होकर सुविधाजनक रास्ता मांगा गया है जो दिया जाना उचित नही है। प्रार्थीनी के पास पहले से ही खरारा नम्बर 435/349 में से रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीनी के पास पहले से रास्ता होने के कारण प्रार्थीनी द्वारा मांगा जा रहा रास्ता आवश्यकता का न होकर सुविधा के अनुसार माना जा रहा इसलिए प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र काविले खारिज है। प्रार्थीगण के पास अन्य रास्ता होने के कारण रास्ता दिया नही जा सकता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काविले खारिज योग्य है। प्रार्थीनी द्वारा यह रास्ता सुविधा के अनुसार सड़क से जुडने के लिए चाहा गया है जो आवश्यकता का न होकर सुविधा का रास्ता चाहा गया है जो वैकल्पिक रास्ता मोजूद होने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थीनी ने रास्ता की मांग सड़क

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested

से जुडने के लिए की गई है प्रार्थीनी के खेत तक जाने जाने के लिए रोही बाना में कायम कट्टाणी रास्ता से फटकर प्रार्थीनी के खेत तक पहुचता है जो श्रीमानजी द्वारा चाही गई रिर्पोट में आया है जो ही प्रार्थीनी के खेत का मौजूदा आवागमन का रास्ता है प्रार्थीनी के पास पहले से रास्ता होने के कारण प्रार्थीनी द्वारा चाहा गया रास्ता अन्त्यन्त आवश्कता का न होकर सुविधा के अनुसार श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर सड़क से जुडने के लिए रास्ता की मांग की गई है जो सुविधा का रास्ता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अनुसार चाहा गया रास्ता सुविधा का न होकर अन्त्यन्त आवश्यकता का होना चाहिए एवं वैकल्पिक रास्ता का अभाव होना चाहिए तभी रास्ता दिया जा सकता है प्रार्थीनी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधा का रास्ता है एवं प्रार्थीनी के आने जाने के लिए रास्ता पहले से वैकल्पिक रास्ता है इसलिए प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज काबिल है । प्रार्थीनी द्वारा सुविधाजन रास्ता मांगा जाने के कारण प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 14.01.2025 का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यकता को ना होकर सुविधा का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अनुसार चाहा गया रास्ता सुविधा का न होकर अन्त्यन्त आवश्यकता का होना चाहिए एवं वैकल्पिक रास्ता का अभाव होना चाहिए। प्रार्थीनी को अपनी जोत तक पहुंचने हेतु कटाणी मार्ग खसरा नंबर 174 में से रास्ता उपब्लध है। प्रार्थीनी द्वारा केवल अपनी सुविधानुसार रास्ते की मांग की गई है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीनी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 15:30:57 IST
Reason: SelfAttested